

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या-

238/22 प्रा०पत्र

माती अन्नोपी ८०५३ उदा जाट निवासी- तिरडिया तहसील - माण्डल (राज0)

-प्रार्थी

बनाम

लगादीह ८०५३ देवदक्ष भागती निवासी- तिरडिया तहसील - माण्डल (राज0)
(सुदामा किरण प्रभाकर)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि 1956

दिनांक :-

::आदेश::

27.12.22

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.....पटवार हल्का.....तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं.....किया किता.....रकबा.....पर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण 786 आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की तरगदी के आदेश प्रदान कराये जावें।

मुत्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी कब्जे काशत की होने से पत्थरगदी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....पटवार हल्का.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....किया किता.....रकबा.....हेक्टयर भूमि के चारों तरफ.....की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगदी किये जा 265 आदेश किया जाता है। पत्थरगदी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....को.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकाराने किता मौजूदगी में मौके व 500/- यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगदी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगदी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगदी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा